चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए०/2761
दिनांक : 10.06.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शिक्षक महासंघ, लखनऊ का पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है, जो कि जिलाधिकारी, बागपत को सन्दर्भित है, जिसमें आपके महाविद्यालय में तैनात शिक्षकों का वेतन भुगतान के सम्बन्ध में है। विश्वविद्यालय के पत्रांक पी0ए0/2651 दिनांक 31.03.2020 व पत्रांकः-पी0ए0/2660 दिनांक 16.04.2020 के द्वारा समस्त महाविद्यालय/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशकों को शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु आदेश निर्गत किये गये थे, फिर भी कतिपय महाविद्यालयों द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान न करने तथा उन्हें महाविद्यालय/संस्थान से निकालने की धमकियॉ दी जाती है। जो कि नैसर्गिक न्याय के विपरीत है।

उक्त के क्रम में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आप तत्काल अपने महाविद्यालय/संस्थान के शिक्षकों को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें, अन्यथा विश्वविद्यालय अपने स्तर से नियम संगत आपके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु बाध्य होगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक का होगा। साथ ही आप अपने महाविद्यालय स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय को अवगत करायें :-

01. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों में अनुमोदित प्राचार्य/शिक्षकों का भौतिक सत्यापन किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है।
02. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों में प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी अनिवार्य है। यदि महाविद्यालय/संस्थान के प्रबन्धतंत्र द्वारा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति नही की जाती है, तो विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान की सम्बद्धता समाप्ति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
03. विश्वविद्यालय से शिक्षकों की नियुक्ति यू0जी0सी0/शासन/ए0आई0सी0टी0/बी0सी0आई0/एम0सी0आई0/डी0सी0आई0 के अनुरूप करना सुनिश्चित करें।
04. विश्वविद्यालय द्वारा आगामी सत्र 2020-21 से शिक्षकों की विषयवार उपलब्धता पर ही प्रवेश हेतु सीट आवंटित की जायेगी।
05. महाविद्यालयों की आडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
06. विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय/संस्थानों में अनुमोदित प्राचार्य/शिक्षकों को वेतन भुगतान बैंक एकाउन्ट से करना सुनिश्चित करें।
07. शिक्षकों/कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण हेतु जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन करें।
08. महाविद्यालयों में पठन-पाठन सुनिश्चित कराये तथा शिक्षकों का वेतन भुगतान भी नियमानुसार कराया जाय।
09. अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों की जांच भी सामान्य महाविद्यालयों की भांति विश्वविद्यालय द्वारा विशेषकर महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के मानक एवं शिक्षकों के मानक तथा उनकी जॉच विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कार्य दिवस में करायी जा सकती है।

यदि भविष्य में किसी स्तर पर निरीक्षण किया जाता है और उसमें कोई कमियॉ पायी जाति है, तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय अपने स्तर से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. प्रभारी वेबसाइट, [illegible] विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

REDMI NOTE 5 PRO
MI DUAL CAMERA